

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्उत्थान नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमती सीता देवी पति इंद्रदेव उराँव निवासी ग्राम: कल्याणपुर, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कल्याणपुर, थाना सं: 85 (गैर-मजरुवा खास) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 189 (भाग) और 292 (भाग) कुल रकबा - 2.00 एकड़ गैर-मजरुवा खास बंदोबस्ती भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष दर्ज करा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम कल्याणपुर, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कल्याणपुर, थाना सं: 85 (गैर-मजरुवा खास) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 189 (भाग) और 292 (भाग) कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत श्रीमती सीता देवी पति इंद्रदेव उराँव निवासी ग्राम: कल्याणपुर, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

निश्चित